**उत्तर प्रदेश सरकार**
**औद्योगिक विकास विभाग-6**
**संख्या : 985/77- 6 -09 /33 (रुम)/04 पी०सी०**
**लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2009**

## कार्यालय-ज्ञाप

शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था सृजित की जाए जिसमें अवस्थापना/औद्योगिक/संपूर्ण सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि) की निवेश संबंधी समस्याओं का निदान **'एकल मेंज व्यवस्था'** के अधीन किया जाए। अतएव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय उद्योग बन्धु के माध्यम से उद्योगो के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधायें स्थापित कराये जाने संबंधी उपक्रमों की समस्याओ का निराकरण एवं अनुश्रवण किया जायेगा। अतएव उद्योग बन्धु का प्रस्ताव है कि जिला स्तरीय उद्योग बन्धु में निम्न विभागो के प्रतिनिधियों को भी नामित करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नवत् आदेश दिये जाते है :-

1. खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. कर एवं निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16. राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17. वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
18. पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
19. उच्च्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
20. बेसिक (प्रारम्भिक) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7280(1)/18-2-6-4(8)/88, दिनांक 28 फरवरी, 1989 के प्रस्तर-3 (II) में वर्णित समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाते हुए यह व्यवस्था की जाती है कि औद्योगिक इकाईयो के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के उपक्रमों एवं अवस्थापकीय सुविधाये स्थापित कराये जाने संबंधी उपक्रमों की समस्याओं का निराकरण एवं विभिन्न सुविधाओं की स्वीकृति जो जिला स्तरीय अधिकारियो के द्वारा ही संभव हो, के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के उपरान्त यथासंभव बैठक में ही निर्णय कराया जायेगा। शेष व्यवस्था कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 फरवरी, 1989 के अनुसार रहेगी।

उपरोक्त सीमा तक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-7280(1)/18-2-6-4(8)/88, दिनांक 28 फरवरी, 1989 को को संशोधित किया जाता है।

उपरोक्त आदेशो का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

(वी0के0 शर्मा)
अवस्थापना एवं
औद्योगिक विकास आयुक्त

संख्या : 985(1)/77-6-69 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।
8. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम।
9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
10. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
11. उद्योग विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव/समस्त अनुभाग अधिकारी।
12. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से-

(कैप्टन एस0के0 द्विवेदी) 27/5
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
उद्योग अनुभाग-2,
संख्या [illegible]/18-2-[illegible]
लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, [illegible]

28/2/89

## कार्यालय ज्ञाप

लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों को व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान, उनके अन्तर्विभागीय मामलों के निस्तारण एवं उनके कुशल संचालन हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तर पर शासनादेश सं० यू०ओ० 67/18-2-6-4 191/87, दिनांक 4 मई, 1988 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा लघु उद्योग बन्धु का गठन किया गया है, जिसमें उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के उच्चस्तरीय अधिकारी सदस्य हैं। लघु उद्योग बन्धु की उच्चस्तरीय समिति का प्रयास रहता है कि लघु उद्योग इकाइयों की समस्याओं का समाधान बैठक में ही सिंगिल विण्डो सर्विस की परम्परानुसार किया जाय।

2. प्रदेश स्तर पर यह व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को सचिव, लघु उद्योग की अध्यक्षता में लघु उद्योग बन्धु की बैठक आयोजित की जाती है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर भी एक लघु उद्योग बन्धु का गठन किया जाय ताकि लघु एवं ग्रामीण उद्योग इकाइयां सिंगिल विण्डो सर्विस से लाभान्वित हो सकें और उनकी अधिकांश समस्याओं का निराकरण जिला स्तर पर ही हो जाये। एतदर्थ राज्यपाल महोदय जिला स्तरीय लघु उद्योग बन्धु निम्नवत् गठित किये जाने का आदेश देते हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| (2) | क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग | उपाध्यक्ष |
| (3) | मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी (नियोजन) | सदस्य |
| (4) | [illegible] विभाग (जिले में तैनात वरिष्ठतम अधिकारी) | सदस्य |
| (5) | विद्युत विभाग ---- तदैव ---- | सदस्य |
| (6) | [illegible] विभाग ---- तदैव ---- | सदस्य |
| (7) | लीड बैंक अधिकारी | सदस्य |
| (8) | उ०प्र० लघु उद्योग निगम के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |
| (9) | उ०प्र० [illegible] औद्योगिक विकास निगम के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |

DO
[illegible] e one
on which
all officers of UB
may see.
Keep this on
f. as well
a file.
Khan

----2.

10- लघु उद्योग सेवा संस्थान के सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी — सदस्य

11- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी खादी बोर्ड — सदस्य

12- उ०प्र० वित्तीय निगमके संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी — सदस्य

13- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित अधिकारी — सदस्य

14- <u>आमंत्रित सदस्य</u>

उक्त समिति की बैठक में विचारार्थ बिन्दुओं में यदि नगर महापालिका/नगरपालिका, वाणिज्यिक बैंक या अन्य विभाग का कोई बिन्दु निहित हो तो उनके जिला/मण्डलीय स्तर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाय।

15- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र — सदस्य/सचिव

3- <u>समिति के कार्य</u>

1. (1) लघु उद्योग इकाइयों को विभिन्न सुविधायें दिये जाने एवं उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु उनके प्रार्थना-पत्रों पर विचार करना एवं यथा-सम्भव बैठक में ही उनका निराकरण करना।

(2) जनपद में स्थापित होने वाले उद्योगों को शासन की नीति के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराना व विभिन्न विभागों व वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वय करना।

(3) विभिन्न मामले जो कि मण्डलीय अथवा राज्य स्तर पर स्वीकृत होते हैं, का पर्याप्त अनुश्रवण करना।

2. <u>समिति की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी।</u> उचित होगा कि प्रत्येक माह में बैठक के लिये एक तिथि एवं समय निर्धारित कर दिया जाय। चूंकि जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना उद्यमियों को [illegible] सहायता देने के उद्देश्य से की गई है, अतः [illegible] उद्योग बन्धु की बैठकें <u>जिला उद्योग केन्द्र में ही आयोजित की जाय।</u>

3. [illegible] की बैठक की सूचना औद्योगिक इकाइयों को पहले से भेज दी जाय, [illegible] स्वयं बैठक की चर्चा में भाग ले सकें। बैठक हेतु एजेण्डा तैयार [illegible] उद्यमियों से [illegible] का विवरण प्राप्त कर [illegible] बैठक [illegible] तथा [illegible]

सदस्यों एवं सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु कम से कम एक सप्ताह पूर्व भेज दिया जायेगा । यह आवश्यक है क्योंकि विभाग सम्बन्धित समस्या पर पूर्व से स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि बैठक के समय ही निर्णय लिया जा सके ।

4. समिति की बैठक का कार्य एवं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना नियमित रूप से उद्योग निदेशक, कानपुर एवं अतिरिक्त निदेशक/अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु नवचेतना केन्द्र, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी ।

5. जिला लघु उद्योग बन्धु की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त एवं स्थानीय स्तर पर सभी सम्भव प्रयास करने के उपरान्त लघु उद्योग इकाइयों के ऐसे मामले, जिन पर निर्णय जिला स्तर पर नहीं हो सका है उनका पूर्ण विवरण अतिरिक्त निदेशक/अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, नवचेतना केन्द्र, लखनऊ को प्रेषित किया जाये जिससे कि वे उस पर अपने मुख्यालय स्तर पर कार्य कर सकें और आवश्यकतानुसार मामले को राज्य स्तरीय लघु उद्योग बन्धु की बैठक में प्रस्तुत कर सकें ।

6. आयुक्त एवं उद्योग निदेशक, उ०प्र० सभी जिलों के सामान्य-प्रबन्धकों को आवश्यक निर्देश तथा आवश्यक प्रारूप भेजेंगे । वे जिला लघु उद्योग समिति की बैठकों एवं उसकी कार्यप्रणाली का अनुश्रवण करेंगे और इस सम्बन्ध में एक विस्तृत त्रैमासिक विवरण राज्य स्तरीय लघु उद्योग समिति के विचारार्थ भी प्रस्तुत करेंगे ।

टी०एस०वासुदेवन
सचिव,
लघु एवं ग्रामीण उद्योग ।